

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, (मध्य क्षेत्र)

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक- 2683 सी0जेड0काम/11सी0जेड0(पे0पं0)/2020.

दिनांक-19/10/20

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री अचिन्त भावसर, टेरीटोरी प्रबन्धक, (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली द्वारा प्रेषित पत्र सं0 एन0आर0ओ0 गोवर्धनपुर दिनांक 22.06.2020 के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा भूमि खसरा सं0-1447 स्थित ग्राम गोवर्धनपुर, पगरना व तहसील बिसवाँ, जिला-सीतापुर में बहराइच-सीतापुर मार्ग (राज्य मार्ग-30बी) के किमी0-78 में चैनेज 77.022 से चैनेज 77.057 तक के मध्य बाँयी ओर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. श्री गौरव, निवासी-H.No.-203, BLOCK IB, SAMRIDHI APARTMENT, DDA, MULTI STOREY SECTOR 18B SWARKA, NEW DELHI-110078 द्वारा प्रस्तावित आउटलेट बहराइच-सीतापुर मार्ग (राज्य मार्ग-30बी) के किमी0-78 में चैनेज 77.022 से चैनेज 77.057 तक के मध्य बाँयी ओर स्थित है। मानचित्र में अंकित दूरी 22.86 मीटर (मार्ग के मध्य भाग से बाँयी ओर 14 मीटर तथा दाँयी ओर 14 मीटर) सीमा से बाहर है। संलग्न मानचित्र में अंकित दूरी तक निर्माण सामग्री लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि सीमा में एकत्र न किया जाये।
प्रस्तावित आउटलेट स्थल पर रोड साइड लैण्ड कंट्रोल एक्ट की सीमा 22.86 मीटर है। रोड साइड लैण्ड कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्ग के मध्य से 22.86 मीटर में पक्का निर्माण अनाधिकृत है। रोड साइड लैण्ड कंट्रोल एक्ट के सम्बन्ध में राजस्व विभाग की आख्या बाध्यकारी होगी।
2. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
3. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।
4. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु आवश्यक भूमि भू-स्वामी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर ही वांछित निर्माण हटाना होगा।
5. पेट्रोल पम्प (पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट) परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 30 सेमी0 नीचा होना चाहिए। ताकि सड़क पर परिसर का पानी न आने पाये।
6. पेट्रोल पम्प (पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट) एवं विभागीय भूमि के बीच परिसर में पक्की ड्रेन बनायी जाये तथा उसे लोहे की ग्रेटिंग से ढका जाये एवं सड़क तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर 1.00 मीटर स्पान की सुदृढ़ आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाये, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और पेट्रोल पम्प परिसर का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
7. ड्रेनेज हेतु पेट्रोल पम्प (पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
8. लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईनेज बोर्ड लगाना अनुमत्य नहीं होगा।
9. मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, सीतापुर द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
10. वेगान्तर लेन में स्थित विद्युत पोल को सुगम आवागमन हेतु सुविधाजनक स्थान पर शिफ्ट किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। दुर्घटना होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी रिटेल आउटलेट संचालक की होगी।
11. शासनादेश सं0-1882/23-12-19-1365/17टी0सी0, दि0 04.12.2019 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट एवं आई0आर0सी0 कोड 12-2009 में दी गई समस्त शर्तें लागू होंगी।
12. संबंधित ऑयल कम्पनी संचालन द्वारा लाईसेन्स एवं प्रोसेसिंग फीस का क्रमशः डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0-007229, दि0 08.09.2020 रू0 3,00,000.00 एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0-007230, दि0 08.09.2020 रू0 10,000.00 (बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-सेक्टर-17, डावरका, न्यु दिल्ली) कुल धनराशि रू0 3,10,000/- मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलरूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, सीतापुर के पक्ष में जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, सीतापुर के पत्र संख्या-1603/अना0प्र0पं0/2020-21, दि0 28.09.2020 तथा अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर के पत्र संख्या-3289/330सी-सी0खी0/2020, दि0 29.09.2020 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

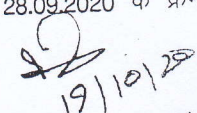
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

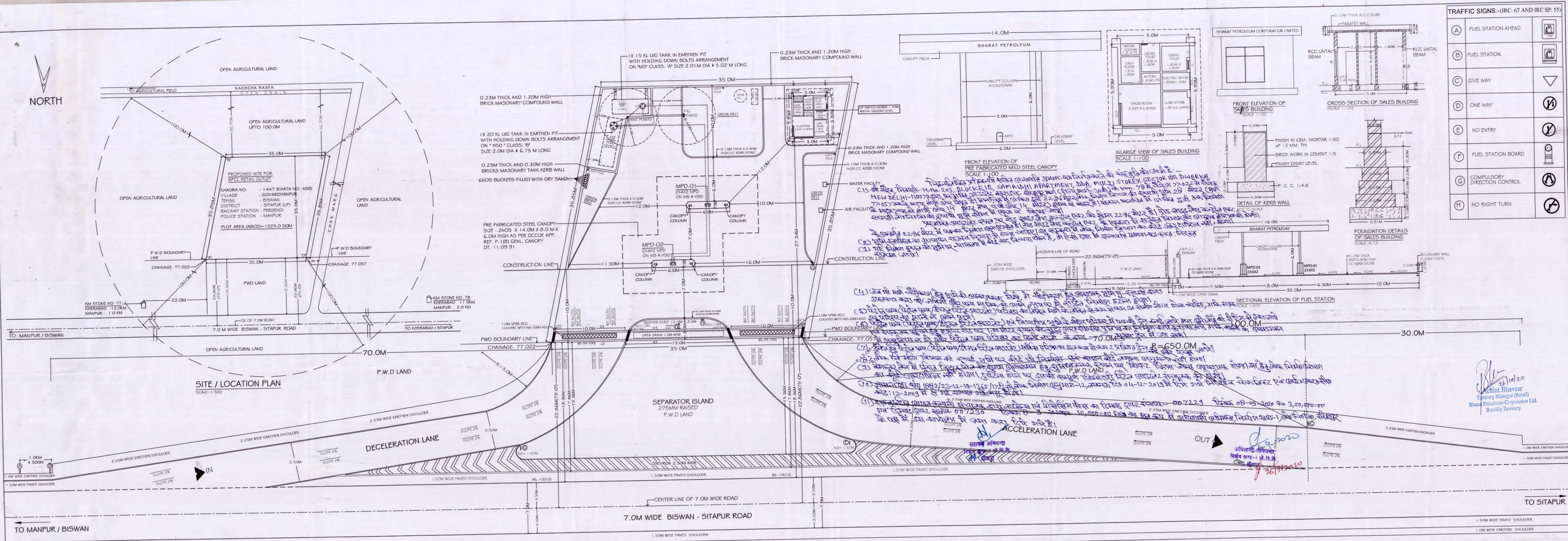
1. जिलाधिकारी, सीतापुर
संलग्नक-ड्राइंग एक प्रति में।


Achint Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

(अम्बिका सिंह)
मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

2. अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर के पत्र सं0-3289/330सी-सी0खी0/2020, दि0 29.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, सीतापुर के पत्र सं0-1603/अना0प्र0पं0/2020-21, दि0 28.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ



NOTES:

1. VENT PIPE 4.0M HIGH END COVERED WITH TWO LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
2. FILL POINTS FITTED WITH CAMLOCK, COUPLING AND AIR TIGHT THREADED ALUMINIUM CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
3. DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
4. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE FLAME PROOF CONFORMING TO IS 2148 WITHIN 6.0M OF TANK AND MPD.
5. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARD ONLY.
6. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6.0M OF UG TANK & DISPENSING UNITS.
7. PREMISES TO BE USED ONLY FOR STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
8. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED OXIDE PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
9. FABRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK ARE CONFORMING TO IS 10987:1992 AS PER C.C.O.E.
10. NAGPUR ORDER NO. G-40/SC/PMSC 94 DATED 24.02.99
11. ALL DIMENSIONS ARE IN MM UNLESS OTHERWISE NOTED
12. FIRE EXTINGUISHERS 4 NOS AS PER EXPLOSIVE RULES
13. TANK SHOULD BE GIVEN HYDROSTATIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING IS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AT CONTROLLED PRESSURE OF 0.36 KG/CM² FOR 2 HOURS.
14. DIP RODS SUPPLIED WITH TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 320MM LONG INSTEAD OF STANDARD 235MM
15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATES OF TANK 20KL SHELL-6MM AND END 8MM
16. TANKS CONFORM TO RULES 124, 125 & 131 OF THE PETROLEUM RULES 2002
17. ALL LIGHT POLES ARE FITTED AS PER APPROVAL OF CCOE NAGPUR VIDE LETTER NO PL.III (MB) DATE 26.11.1963
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF METTAL ROAD TO DRAINAGE APPROACHES MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
19. EV = EXTENDED VENT POINT
20. PROPER ARRANGEMENT OF LIGHT POLES IN LICENSED PREMISES
21. NO ELECTRICAL LINE IS PASSING OVER LICENSED PREMISES.

LEGEND

PROP. WORK SHOWN IN RED

AREA STATEMENTS

TOTAL PLOT AREA	1225.00 SQM
COV. AREA OF SALES BUILDING	29.65 SQM
PRE-FABRICATED CANOPY AREA	224.00 SQM
TOTAL COVERED AREA	253.65 SQM
OPEN AREA	971.35 SQM

TANKS AND PUMPS DETAIL

S.NO	ITEM	SIZE	PET. CLASS & CAPACITY	PRODUCT
1	TANK T-01	2.01M DIA X 5.02M LONG	CLASS - 'A' (15 KL)	MS
2	TANK T-02	2.0M DIA X 6.75M LONG	CLASS - 'B' (20 KL)	HSD
3	MPD -01	2FX4HX2 DISPLAY	CLASS - 'A & B'	MS & HSD
4	MPD -02	2FX4HX2 DISPLAY	CLASS - 'A & B'	MS & HSD

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED

(BAREILLY TERRITORY - RETAIL)

SUBJECT - LAY OUT PLAN OF NEW RETAIL OUTLET / SERVICE STATION

PLOT / KHASRA NO. : 11447 (KHATA NO. 488) CHAINAGE-77.022 (L.H.5)

TOWN / VILLAGE : GOVARDHANPUR

NEAREST RLY. STATION : PERSENDI

NEAREST POLICE STATION : MANPUR

TEHSIL / TOWN AREA : BISWAN

DISTRICT : SITAPUR

STATE : UTTAR PRADESH

DRG. NO. : DATE : SCALE : PREPARED BY : CHECKED BY :

AS SHOWN : JUNE 2020 : AS SHOWN : SARA ENGINEERING CONCEPT : Vaidhavya Juyal

Asstt. Manager Engrg. (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory